



उत्तराखण्ड राज्य

निकट विकास भवन रुद्रपुर, कोषागार, रुद्रपुर, उत्तराखण्ड। फोन व फैक्स-05944 250060, Email-dfotaraicentral@rediffmail.com



कार्यालय-प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

पत्रांक 2242/ 12-1 रुद्रपुर,

दिनांक 16/6/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय:- जनपद-नैनीताल में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर-दिनेशपुर- मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेड्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढीकरण हेतु 16.69 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/157397/2022)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/54/2022/एफ.सी./1323 दिनांक 03.01.2023, पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/54/2022/एफ.सी./385 दिनांक 16.06.2023, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 1615/FP/UK/ROAD/157397/2022 दिनांक 04.01.2023, पत्रांक 41/FP/UK/ROAD/157397/2022 दिनांक 10.07.2023 एवं आपका पत्रांक 1208/12-1 दिनांक 18.03.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में जनपद-नैनीताल में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर-दिनेशपुर- मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेड्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढीकरण हेतु 16.69 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र सं0 2077/12-1 दिनांक 27.02.2023 से भेजी गयी, जिसमें भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/54/2022/एफ.सी./385 दिनांक 16.06.2023 से 03 बिन्दु की आपत्तियाँ लगाई गई हैं। आपत्तियों का उत्तरालेख प्रस्तुत करने से पूर्व निम्न बिन्दु अवलोकनीय हैं:-

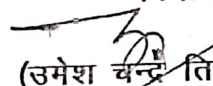
1. गदरपुर-दिनेशपुर- मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0-05) वर्ष 1980 से पूर्व निर्मित राज्य मार्ग है। वर्ष 2022 में लोक निर्माण विभाग द्वारा केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत उक्त मार्ग को दो लेन पेड्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण हेतु राज्य सरकार के उपक्रम ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, (ब्रिडकुल) परियोजना इकाई-हल्द्वानी को कार्य आवंटित किया गया।
2. ब्रिडकुल द्वारा दिनांक 19.05.2022 द्वारा उक्त कार्य प्रारम्भ करने हेतु पूर्व निर्मित मार्ग के शोल्डर में मशीनों से 1.5 मी0 चौड़ाई एवं 0.30 मी0 गहराई में खुदान कार्य प्रारम्भ किया गया। संस्था द्वारा लगभग 1.8495 है0 क्षेत्र में खुदान करने पर वन कर्मियों को घटना की जानकारी मिली एवं उनके द्वारा तत्काल मौके पर कार्य रुकवाकर प्रकरण में 05 पृथक-पृथक वन अपराध भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये। ये वन अपराध कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल के अधिकारियों के विरुद्ध पंजीकृत किये गये थे। इन अधिकारियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों का प्रस्तुत प्रकरण में लागू होने के सम्बन्ध में अनभिज्ञता व्यक्त की गयी।
3. प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को मार्ग चौड़ीकरण से पूर्व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पूर्वानुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव गठित करने के निर्देश दिये गये। निर्देशों के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा मार्ग चौड़ीकरण हेतु एक प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 24.06.2022 को ऑनलाईन अपलोड किया गया जिसका प्रस्ताव सं0 (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/157397/2022) है।
4. ऑनलाईन अपलोड प्रस्ताव में अपेक्षित वन भूमि 16.69 है0 प्रदर्शित की गयी। उक्त के सापेक्ष पूर्व में किया गया भूमि तुड़ान (Land Breaking) मात्र 1.8495 है0 थी।

DFO(TC)/G.P./LAND TRANSFER.Doc

उत्तराखण्ड वन विभाग

	चिन्हित करने हेतु निम्न निर्देश दिये गये "तराई केन्द्रीय वन प्रभाग अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र जिनमें पातन हो चुका है तथा बजट के अभाव में उन क्षेत्रों में रोपण कार्य नहीं हो पाया हो अथवा पौपलर क्षेत्र जिनमें पातन हुआ है परन्तु रोपण कार्य नहीं हो पाया है, ऐसे क्षेत्रों को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया जा सकता है। अतः तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें"। तदनुसार उक्त क्षेत्र रिक्त होने की स्थिति में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त 3 (ग)- प्रकरण से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में अपलोड कर दिये गये हैं।
03	शर्त संख्या 9 एवम 10 के चाहे अनुसार स्वतंत्र जांच एवं कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः अनुरोध है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 9 एवम 10 का अवलोकन कर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त 09 एवं 10 के अनुपालन में आख्या पूर्व में इस पत्र में विस्तार से दी गयी है।

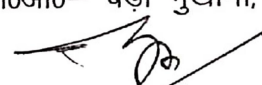
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

 (उमेश चन्द्र तिवारी)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर

सं०: 2242/12-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
2. परियोजना प्रबन्धक, ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, परियोजना इकाई-हल्द्वानी, रौतेला कॉलोनी, छोटी मुखानी, पो0ऑ0- बड़ी मुखानी, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल-263139।


 (उमेश चन्द्र तिवारी)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर